



न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :- 193/2022 (2022/517)

1. कल्ली देवी बेवा स्व0 कजोड़ बैरवा
2. छोटूराम पुत्र स्व0 कजोड़ बैरवा
3. जगदीश पुत्र स्व0 कजोड़ बैरवा
4. रामफूल पुत्र स्व0 कजोड़ बैरवा
5. बाबूलाल पुत्र स्व0 चन्दा बैरवा

समस्त जाति बैरवा ग्राम-रघुनाथपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—वादीगण—

1. घासीराम पुत्र चन्दा बैरवा निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0 वादीगण
श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1

पर्चा डिक्री
सत्यमेव जयते

दिनांक 23/10/2024

दावा वादीगण घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 212/0. 6323, 221/0.2276, 259/0.9610, 272/1.6186 है0 कुल कित चार कुल रकबा 3.4395 हैक्टेयर ग्राम कानोता पटवार हल्का कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में तनकीयात बिन्दुओं को सिद्ध नहीं करने से वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण